संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–1, चतुर्थ तल, नवा अटल नगर, जिला रायपुर

दूरभाष क्रमांक 0771–2510840, फैक्स क्र. 0771–2510841

E-mail : dif.cg@gov.in & adif.cg@gov.in

क्रमांक 613-A/संसंवि/बैंक इम्पे./2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/10/2020

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन
.... विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

विषय :– राज्य शासन के विभिन्न प्रशासकीय विभाग/निकाय/निगम/मंडल/उपक्रम/बोर्ड/पंचायत/ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी/सार्वजनिक उपक्रम/अथॉरिटी इत्यादि के अतिरिक्त राशि का वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने बाबत् – पात्र बैंकों की सूची।

— :: —

वित्तीय वर्ष 2016–17 के आंकड़ों के आधार पर संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1035/संसंवि/बैंक इम्पे./2017, नया रायपुर, दिनांक 17.11.2017 द्वारा राज्य शासन के विभिन्न प्रशासकीय विभाग/निकाय/निगम/मंडल/उपक्रम/बोर्ड/पंचायत/ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी/सार्वजनिक उपक्रम/अथॉरिटी इत्यादि के अतिरिक्त राशि का वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने के लिये पात्र बैंकों की सूची जारी की गई थी। **वित्तीय वर्ष 2019–20 के आंकड़ों के आधार पर नवीन सूची तैयार की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।** उक्त जारी नवीन सूची अनुसार समस्त विभाग अपने अधीनस्थ निकाय/निगम/मंडल/उपक्रम/बोर्ड/पंचायत/ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी/सार्वजनिक उपक्रम/अथॉरिटी इत्यादि को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अतिरिक्त राशि को संलग्न सूची अनुसार पात्र बैंकों में ही जमा करायें एवं यह सूनिश्चित करें कि छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता, भाग–एक, सहायक नियम (9) का उल्लंघन न हो।

2/ शासन के समस्त प्रशासकीय विभाग/निकाय/निगम/मंडल/उपक्रम/बोर्ड/पंचायत/ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी/सार्वजनिक उपक्रम/अथॉरिटी इत्यादि द्वारा अतिरिक्त कोष का विनियोजन पात्र बैंकों में निम्न उद्देश्य के आधार पर किया जाएगा :–

a) **अधिकाधिक ब्याज** की प्राप्ति जिससे की कोष में अधिकतम वृद्धि प्राप्त की जा सके।

b) बैंकों द्वारा राज्य शासन की निर्धारित शासकीय योजना में **उच्चतर परफारमेंस**।

c) बैंक की **वित्तीय स्थिरता**, शासकीय राशि की सुरक्षा हेतु।

d) जमाकर्ता विभाग को सस्ते दर पर ऋण प्रदायगी।

शासन के समस्त प्रशासकीय विभाग/निकाय/निगम/मंडल/उपक्रम/बोर्ड/पंचायत/ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी/सार्वजनिक उपक्रम/अथॉरिटी इत्यादि अपने अतिरिक्त कोष के विनियोजन हेतु बैंक चयन करते समय उपरोक्त चार उद्देश्य की विवेचना कर शासन के हित में **वित्तीय औचित्य के सिद्धांत** अनुसार युक्तियुक्त निर्णय लेंगे।

3/ राज्य शासन को आवश्यकता पड़ने पर बैंकों में जमा शासकीय राशि को वित्त विभाग के आदेश से K-Deposit में जमा करने का आदेश जारी किया जा सकता है जिसका त्वरित अनुपालन अनिवार्य है।

4/ बैंक मासिक रूप से शासकीय जमा की जानकारी संचालनालय संस्थागत वित्त को निर्धारित प्रारूप में समयानुसार उपलब्ध करायेंगे एवं शासन के समस्त प्रशासकीय विभाग/निकाय/निगम/मंडल/उपक्रम/बोर्ड/पंचायत/ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी/सार्वजनिक उपक्रम/अथॉरिटी इत्यादि द्वारा बैंकों में जमा राशि की जानकारी प्रति छःमाही निर्धारित प्रारूप में संचालनालय संस्थागत वित्त को प्रेषित किया जायेगा।

5/ शासकीय जमा प्राप्त करने हेतु बैंक विशेष का उस क्षेत्र में शाखा होना आवश्यक है।

6/ छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निर्देश के आधार पर LWE/Special Area/ दुर्गम क्षेत्र में जिन बैंकों द्वारा ब्रांच खोले गये हैं/खोले जायेंगे, उन्हें उस ब्रांच के परिचालन/प्रशासन आदि संबंधी व्यय को दृष्टिगत रखते हुए उस ब्रांच के लिये जिला स्तर पर पृथक से न्यूनतम आवश्यक शासकीय जमा उपलब्ध कराया जा सकेगा।

7/ पात्र बैंकों की सूची एवं 31 मार्च 2020 की स्थिति में पात्र बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं में उनके परफारमेंस की जानकारी इस संचालनालय के वेबसाईट www.cgdif.nic.in पर उपलब्ध है। उक्त सूची नवीन सूची जारी होने तक प्रभावशील रहेगी।

8/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें।

(प्रभात मलिक)
संचालक

पृष्ठां. क्र. 613-B/संसंवि/बैंक इम्प्ले./2020 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/10/2020

प्रतिलिपि :-

उपमहाप्रबंधक, एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय स्टेट बैंक, बैरन बाजार, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(प्रभात मलिक)
संचालक